

# प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 09.11.2025

## गैंग बनाकर लूट का अपराध करने वाले 02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष एम्स द्वारा गैंग लीडर अनिल चौहान पुत्र कोईल चौहान निवासी ग्राम बड़ी रेवतेहिया थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर व गैंग के अन्य सदस्य उग्रसेन चौहान उर्फ लाल पुत्र स्व0 राम सिंह चौहान निवासी खुटहवा तुरा नाला के पास थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर लूट का अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं लूट जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर अनिल चौहान व गैंग के अन्य सदस्य उग्रसेन चौहान के विरुद्ध थाना एम्स पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 453/25 धारा 2(ख) (i), (iv), (xi)/3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप ( निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर आमजनमानस से लूटपाट, गाली गलौज, मारपीट व अवैध शास्त्र रखने का अपराध कारित करते हैं। जिसके संबंध में थाना एम्स पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 115/2024 धारा 392, 411 भादवि एम्स जनपद गोरखपुर तथा मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 116/2024 धारा 307, 504 भादवि व 9/25/27 आर्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 453/25 धारा 2(ख) (i), (iv), (xi)/3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप ( निवारण) अधिनियम 1986 थाना एम्स जनपद गोरखपुर

### अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. (गैंग लीडर) अनिल चौहान पुत्र कोईल निवासी ग्राम बड़ी रेवतेहिया थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
  - I. मु0अ0सं0 453/25 धारा 2(ख) (i), (iv), (xi)/3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप ( निवारण) अधिनियम 1986 थाना एम्स जनपद गोरखपुर
  - II. मु0अ0सं0 115/2024 धारा 392/411 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
  - III. मु0अ0सं0 116/2024 धारा 307/504 भादवि व 3/25/27 आर्स एक्ट थाना एम्स जनपद गोरखपुर
  - IV. मु0अ0सं0 154/2024 धारा 392 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
  - V. मु0अ0सं0 332/2022 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
  - VI. मु0अ0सं0 354/2022 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर
  - VII. मु0अ0सं0 439/2021धारा 323, 325, 504 भादवि थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर
  - VIII. मु0अ0सं0 564/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
  - IX. मु0अ0सं0 737/2022 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
  - X. मु0अ0सं0 520/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
  - XI. मु0अ0सं0 531/2023 धारा 392, 411, 467, 468, 471 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
  - XII. मु0अ0सं0 533/2023 धारा 341, 392, 467, 468, 471, 506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

2. (गेंग सदस्य) उग्रसेन चौहान उफे लाला पुत्र राम सिंह निवासी खुटहवा तुरीनाला के पास थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

- I. मु0अ0सं0 453/25 धारा 2(ख) (i), (iv), (xi)/3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप ( निवारण) अधिनियम 1986 थाना एम्स जनपद गोरखपुर
- II. मु0अ0सं0 115/2024 धारा 392/411 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
- III. मु0अ0सं0 116/2024 धारा 307/504 भादवि व 3/25/27 आर्सम एक्ट थाना एम्स जनपद गोरखपुर
- IV. मु0अ0सं0 154/2024 धारा 392 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
- V. मु0अ0सं0 706/2022 धारा 120बी, 392 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- VI. मु0अ0सं0 711/2022 धारा 392 भादवि थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर
- VII. मु0अ0सं0 714/2022 धारा 120बी, 392, 411 भादवि थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर
- VIII. मु0अ0सं0 719/2022 धारा 120बी, 392, 411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- IX. मु0अ0सं0 727/2022 धारा 120बी, 392, 411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- X. मु0अ0सं0 728/2022 धारा 9/25 आम्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- XI. मु0अ0सं0 638/2022 धारा 392 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- XII. मु0अ0सं0 751/2022 धारा 394, 427 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- XIII. मु0अ0सं0 729/2023 धारा 2/3 यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- XIV. मु0अ0सं0 731/2022 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
- XV. मु0अ0सं0 564/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर